रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1970 (कार्तिक 16, 1892)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1970 (KARTIKA 16, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 22nd July 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	911
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1367
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	113
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1351
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	3607
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	4461
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . .	599
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	1261
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .	427
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	163
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	1847
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	193
पूरक संख्या 45—	
31 अक्तूबर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट .	1847
10 अक्तूबर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1855

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court — — — —	911
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court — — — —	1367
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence — — — — —	113
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1351
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations — — — — —	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills — — — —	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) — — — —	3607
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4461
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence — — — — —	599
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India — — — — — —	1261
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta —	427
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners — — — — —	163
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies — — — —	1847
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies — —	193
SUPPLEMENT No. 45	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 31st October 1970 — — —	1847
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 10th October, 1970 — — — — —	1855

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

संकल्प

आदिवासी अनुसंधान संस्थानों सम्बन्धी अध्ययन दल

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1970

सं० पी० सी०/एस० डबल्यू०/31(1)/69—योजना आयोग के समसंख्यक संकल्प दिनांक 18 अक्तूबर 1969 के सिलसिले में श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आदिवासी अनुसंधान संस्थानों सम्बन्धी अध्ययन दल के सहयोजित, सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए तथा सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए।

सै० हामिद, संयुक्त सचिव,
योजना आयोग

पैट्रोलियम तथा रसायन व खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1970

सं० 13(7)/70-मेंट-एक—खान तथा धातु विभाग के संकल्प सं० 13(7)/70-मेंट-एक, दिनांक 17 अगस्त 1970 के अनुक्रम में, डा० डी० स्वरूप, तकनीकी सलाहकार, मैसर्स थेरमिट इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर को अलौह धातुओं पर सलाहकारी परिषद् के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया जाता है।

2. सदस्यता आदि, की शर्तें वह होंगी जो उपरवर्णित संकल्प में पहले ही अधिसूचित की जा चुकी हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प समस्त राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालयो, मंत्रीमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी और मिलिटरी सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य निर्माण और प्रकीर्ण और सूचना अधिकारी को संसूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० एस० भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 1970

सं० दो-19(5)/70—भूतपूर्व इस्पात और खान (खान और धातु) मंत्रालय के संकल्प सं० सी० नौ-3(4)/63, दिनांक 3 अक्तूबर, 1964 द्वारा भारत सरकार ने, देश में खनन इन्जिनियरिंग शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा-संचालन के लिए दो वर्ष की कालावधि के लिए खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण पर एक संयुक्त बोर्ड की स्थापना की थी। यह अवधि प्रथमावस्था में, भूतपूर्व खान तथा धातु मंत्रालय की अधिसूचना सं० सी०-6-2(2)/66, दिनांक 21 नवम्बर 1966 द्वारा, दो वर्ष के लिए और तत्पश्चात् भूतपूर्व इस्पात, खान और धातु मंत्रालय की अधिसूचना सं० सी० 6-2(10)/68, दिनांक 11 दिसम्बर, 1968 द्वारा अन्य दो वर्षों की कालावधि अर्थात् 3-10-1970 तक बढ़ाई गई थी। क्योंकि यह बर्धित अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः यह विनिश्चित किया जाता है कि संयुक्त बोर्ड की कालावधि को अन्य दो वर्षों के लिए अर्थात् 3-10-1972 तक बढ़ाया जाए।

2. संयुक्त बोर्ड की विद्यमान संरचना और कृत्यों में, जो कि निम्नलिखित है, किसी प्रकार का परिवर्तन नही हैं :—

संरचना

अध्यक्ष

सचिव, खान तथा धातु विभाग, पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय।

सदस्य

1. प्रमुख तकनीकी सलाहकार, खान तथा धातु विभाग, पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय।
2. शिक्षा और युवा सेवाएं मंत्रालय का प्रतिनिधि।
3. कोयला खानों के लिए खनन-परीक्षाओं के बोर्ड का प्रतिनिधि।
4. धातुत्पादक खानों के लिए खनन-परीक्षाओं के बोर्ड का प्रतिनिधि।
5. खान सुरक्षा के महानिदेशक।
6. श्रम, नियोजन और पुर्नवास (श्रम और नियोजन विभाग) मंत्रालय का प्रतिनिधि।
7. खनन शिक्षा में पाठ्यक्रम वाले विश्वविद्यालयों के दो प्रतिनिधि।

8. खनन संस्थानों के दो प्रतिनिधि ।
9. तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद् का प्रतिनिधि ।
10. नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय का प्रतिनिधि ।
11. व्यवसायिक धन्धों में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद् का प्रतिनिधि ।
12. खान प्रबन्धकों के संघ का प्रतिनिधि ।
13. कोयला खानों के प्रबन्धकों के राष्ट्रीय संघ का प्रतिनिधि ।
14. भारतीय खनन संघ, भारतीय खनन संगम, मध्य प्रदेश और विदर्भ खनन संघ और भारतीय कोयला खान स्वामियों के संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले कोयला उद्योग की संयुक्त कार्य करण समिति का प्रतिनिधि ।
15. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि ।
16. भारतीय खान ब्यूरो के नियंत्रक ।
17. संयुक्त सचिव (मध्य प्रदेश), कार्मिक विभाग ।
18. ऊर्जा शक्ति विभाग का प्रतिनिधि ।
19. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि ।
20. निदेशक खान, तथा धातु विभाग, पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय, (सदस्य सचिव) ।

कृत्य

1. समय समय पर खनन इंजिनियरिंग शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनरीक्षा ।
2. उस रूपरेखा के लिए सुझाव देना जिस में पाठ्यक्रम के मानक, व्यवहारिक प्रशिक्षण और शिक्षा सुविधाओं में आगे सुधार हो ।
3. खनन स्नातकों को कानूनी परीक्षाओं पर छूट अनुदत्त करने और डिग्री तथा डिप्लोमा धारकों के लिए खानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण की कालावधि को कम करने तथा इस निमित्त सिफारिश करने के प्रश्न पर समुचित अवस्था में विचार ।
4. खनन उद्योग और शिक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए तरीके और उपाय सुझाना ।
5. अन्य संसक्त मामले जो कि सरकार द्वारा इसे निर्देशित किए जाएं ।

संयुक्त-बोर्ड की बैठकें जब भी आवश्यक हों, हुआ करेंगी और वह अपने विचार-विमर्शों से सरकार को सूचित करता रहेगा। विशिष्ट समस्याओं का निपटान करने के लिए वह लघु अध्ययन दलों को गठित कर सकेगा ।

जी० रामास्वामी, निदेशक

औद्योगिक विकास, तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 1970

सं० एस० एस० आई० (ए०)-17(3)/70—औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प सं० एस० एस० आई० (ए०)-17(3)/70 दिनांक 25-8-1970 जिस के अधीन लघु उद्योग बोर्ड पुर्नगठित किया गया था में, निम्नलिखित व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्यों की सूची में सम्मिलित किया जाए :—

35. श्री वाई० पी० मण्डल,
सदस्य, लोक सभा,
209, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली ।
36. श्री एस० एम० बनर्जी,
सदस्य, लोक सभा,
113, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली ।
37. श्री के० एल० एन० प्रसाद,
सदस्य, राज्य सभा,
12, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली ।

ओ० आर० पद्मनाभन, अवर सचिव

बड़े उद्योग समूहों विषयक जांच उद्योग

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1970

सूचना देने के लिए समय का बढ़ाया जाना

सं० 1(6) सी० आई०/एल० आई० एच०/70—जन साधारण का ध्यान भारत के राजपत्र, असाधारण भाग I, खण्ड 1 में 4 अगस्त 1970 को प्रकाशित बड़े उद्योग समूहों विषय जांच आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० 1(6)/सी० आई०/एल० आई० एच०/70, दिनांक 4 अगस्त 1970 की ओर दिलाया जाता है जिसमें आयोग के निर्देश-निबंधन पूरी तरह उपवर्णित किए गए थे और जांच की विषय-वस्तु से परिचित सभी व्यक्तियों को उसके निर्देश निबन्धनों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से संबंधित सूचना आयोग की 30 सितम्बर 1970 को या उससे पूर्व देने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

जांच आयोग ने अब यह विनिश्चय किया है कि उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसरण में उसकी अनुसूची 'क' के पैरा 5 में वर्णित रूबी जनरल इन्योरेंस कम्पनी और स्यू एशियाटिक इन्योरेंस कम्पनी से संबंधित मद को अपवर्जित करके, उसमें विनिर्दिष्ट निदेश-निबन्धनों की सभी मदों की बाबत सूचना 15 नवम्बर 1970 तक दी जा सकती है ।

आदेश से
वी० नटराजन, सचिव
बड़े उद्योग समूहों विषयक जांच उद्योग

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1970

सं० एफ० 22-1/69-सी० ए०-1(2)—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 22-10/67-सी० ए० 1(2), दिनांक 12 दिसम्बर 1969 का संशोधन करते हुए केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम की शिक्षा सचिव श्रीमती पद्मा रामचन्द्रन को श्री के० सी० शंकर नारायण के स्थान पर भारतीय ऐतिहासिक

अभिलेख आयोग के एक साधारण सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

फिलहाल उनकी नियुक्ति की अवधि 3 अप्रैल, 1971 तक होगी।

सरन सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 1970

सं० एफ० 14-20/70 यू०-I—भारत सरकार पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना सं० आर० एच० ई०/11(5)/52, दिनांक 5 सितम्बर 1952 के साथ पढ़ी जाने वाली उक्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 5(12)/53, दिनांक 21 मई 1955 के साथ जो कि शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना सं एफ० 18-17/63-यू०-I, दिनांक 12 मार्च, 1970 के द्वारा संशोधित की गई थी, की द्वितीय अनुसूची के पैरा ग्राफ 6(घ) में वर्णित उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार श्री एल० आर० सेठी, एफ० 8/6, बसन्त विहार, पूर्वी मार्ग, नई दिल्ली को स्व० श्री एन० सी० कठपालिया के स्थान पर उनकी 15-12-1972 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए देशबन्धु कालेज कालका जी, नई दिल्ली के प्रशासन बोर्ड को एक सदस्य के रूप में तत्काल से सहर्ष नामजद करती है।

आर० एस० चितकारा, उप-शिक्षा, सलाहकार।

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 1970

सर जमसेत जी जीजीभाय पारसी हितकारी संस्था बम्बई के मामले में।

सं० एफ 10-1/70 सी० डी० एन०—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 10-1/70 सी० डी० एन०, दिनांक 18 मई, 1970 के द्वारा भारत की पूर्त धर्मस्व अक्षयनिधि के कोषपाल को सर जमसेत जी जीजीभाय पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के 4 प्रतिशत पत्तन न्यास ऋणपत्र धारी ऋण 1969-70 की पुनः वापसी के प्राप्त 1500 रु० तक के मूल्य के धन को महाराष्ट्र राज्य ऋण 1981 में 5-3/4 प्रतिशत पर पुनः निवेश करने का प्रधिकार दिया गया था।

पूर्त्त आयुक्त, महाराष्ट्र, बम्बई ने भारत के पूर्त्त धर्मस्व अक्षय-निधि के कोषपाल के एजेन्ट की हैसियत से यह बताया है कि रु० 1,436.97 की लागत से 1400 रु० के महाराष्ट्र ऋण की स्वीकृति देने के बाद उक्त पुनः निवेश पूरा हो चुका है, इस प्रकार रु० 63.03 का निवेश न की गई बकाया रकम रह गई है, जो निवेश किए जाने के लिए बहुत थोड़ी राशि है और इसलिए वह संस्था के प्राधिकारियों को वापिस की जाती है।

इसलिए अब पूर्त्त धर्मस्व अधिनियम, (1890 का 6) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि रु० 63.03 (केवल 63 रु० और तीन पैसे) की उक्त निवेश न की गई बकाया रकम सर जमसेत जी जीजीभाय पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के प्राधिकारियों को लौटा दी जाय।

उमा दत्त, अवर सचिव

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 1970

शुद्धिपत्र

सं० 55-एम० ए० -(4)/67—भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1, दिनांक 1 मार्च, 1969 में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प सं० 55-एम० ए०(4)/67, दिनांक 12 फरवरी, 1969 में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाए :—

क—डेक यात्री कल्याण समिति, बम्बई :

4—"प्रबंधक बंबई पत्तन न्यास, बंबई"
के लिए
"प्रबंधक, बंबई पत्तन न्यास डाक, बंबई"
पढ़िए।

10—"एम०वी०भेलोसे" **के लिए**
आर० वी० भेलोसे" **पढ़िए**।

11—"बी० आर० मुंज" **के लिए**
"आर० बी० मुंज" **पढ़िए**।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय (समिति शाखा के लिए 5 प्रतिलिपियों सहित 10 प्रतिलिपियां) मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सब मंत्रालयों, सब राज्य सरकारों, अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन आयुक्त कलकत्ता, अध्यक्ष, बंबई, अध्यक्ष, मदरास पत्तन ट्रस्ट, मदरास, भारत राष्ट्रीय वाष्पपोत मालिक संघ, सिंधिया भवन, बल्लार्ड इस्टेट, बंबई, पोतपरिवहन महानिदेशक, जहाज भवन, वाल चन्द हीराचन्द मार्ग, बंबई-1 (100 अतिरिक्त प्रतियां सहित) भारत की जहाजी कंपनियों राष्ट्रीय हारबर बोर्ड के सदस्यों और राष्ट्रीय पोतपरिवहन बोर्ड के सदस्यों को वितरण करने के लिए प्रधानाधिकारियों, जलपरिवहन विभाग, बंबई, कलकत्ता और मदरास, बंबई और कलकत्ता पर की डेक यात्री कल्याण समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

आर० तिरुमलै, संयुक्त सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1970

संकल्प

सं० बा० नि० 26(2)/70—इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि० का० पांच 516(1)/67, दिनांक 27 अप्रैल, 1968 में वर्तमान प्रविष्टि 12 निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाए :—

"(12) सदस्य (बाढ़ और भू-संरक्षण),
केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग.....सदस्य सचिव"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, संसदीय कार्य-विभाग, राज्य/लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे आम सूचना के लिए इसे अपने राजपत्रों में प्रकाशित कर दें।

बी० एस० बन्सल, संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर 1970

सं० बा० नि० 37(50)/70—बाढ़ों की समस्या पर 24 और 25 सितम्बर 1970 को उटकमंड में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन ने वर्तमान मानसून ऋतु के दौरान बाढ़ों के कारण और भारी वर्षा कारण मकानों के ढह जाने से हुए जानी नुकसान पर भारी शोक व्यक्त किया। सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि बाढ़ें आने के विभिन्न कारणों का पता लगाने के लिए और भविष्य में इस प्रकार जानी के नुकसान को रोकने हेतु उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति गठित की जाए। तदनुसार, इस सिफारिश के अनुसरण में, भारत सरकार ने एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(1)	केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत उपमंत्री;	अध्यक्ष
(2)	बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मंत्री, असम;	सदस्य
(3)	बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मंत्री, बिहार;	सदस्य
(4)	बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(5)	बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मंत्री, उड़ीसा;	सदस्य
(6)	बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मंत्री, मध्य प्रदेश;	सदस्य
(7)	बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मंत्री, गुजरात;	सदस्य
(8)	बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मंत्री, आंध्र प्रदेश;	सदस्य
(9)	बाढ़ नियंत्रण के कार्यभारी मंत्री, महाराष्ट्र;	सदस्य
(10)	पश्चिम बंगाल के गवर्नर के सलाहकार;	सदस्य
(11)	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग;	सदस्य
(12)	सदस्य (बाढ़), केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

1. बाढ़ों और भारी वर्षा से होने वाले जान व माल के भारी नुकसान की जांच करना ;
2. भविष्य में इस प्रकार के भारी जानी नुकसान इत्यादि को रोकने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करना और उनकी जांच करना।
3. बाढ़ राहत कार्यों का आयोजन करने के बारे में विभिन्न अभिकरणों द्वारा समन्वित कार्रवाई के प्रश्न का ध्ययन करना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और उसकी एक प्रतिलिपि सभी संबंधित विभागो इत्यादि को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे राज्य के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित कर दें।

एन० सी० सक्सेना, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 1970

सं० 7/31/70-एन० ए० (एफ० एफ०)—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प सं० 7/1/69-एफ० आई० (एन० ए०), दिनांक 7 फरवरी, 1969 में प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित फिल्मों के लिए पुरस्कार सम्बन्धी नियम 3 के उपनियम (4) और नियम 19 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1969 का "दादा साहेब फालके पुरस्कार" श्रीमती देविका रानी रोएरिच को, सिनेमा के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, प्रदान करने का निर्णय किया है। पुरस्कार में 11,000 रुपय (ग्यारह हजार रुपए) नकद, एक प्रशस्ति चिन्ह और एक शाल शामिल है।

कुबीर कुमार खान, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

RESOLUTION

New Delhi, the 28th September 1970

Study Team on Tribal Research Institutes

No. PC/SW/31(1)/69.—In continuation of Planning Commission Resolution of even No. dated the 18th October, 1969, Shri J. P. Naik, Member-Secretary, Indian Council of Social Science Research is appointed as a coopted member of the Study Team on Tribal Research Institutes.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

S. HAMID, Jt. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Mines and Metals)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th October 1970

No. 13(7)/70-*Met.I.*—In continuation of the Department of Mines & Metals Resolution No. 13(7)/70-Met.I, dated 17th August, 1970, Dr. Swarup, Technical Adviser to Messrs Thermit India Corporation, Kanpur, is nominated as a Member of Advisory Council on Non-Ferrous Metals.

2. The term of the membership etc. will be the same as already notified in the above mentioned Resolution.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, the several Ministries of the Government

of India, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous, the Information Officer.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 22nd October 1970

No. CII-19(5)/70.—The Government of India in the erstwhile Ministry of Steel and Mines (Department of Mines & Metals) Resolution No. CIX-3(4)/63, dated the 3rd October, 1964, set up a Joint Board on Mining Engineering Education and Training for conducting reviews of the various aspects of Mining Engineering Education and Training in the country, for a term of two years. The term was extended first for a period of two years *vide* erstwhile Ministry of Mines & Metals Notification No. C6-2(2)/66, dated the 21st November, 1966 and thereafter for another two years *i.e.* upto 3-10-1970 *vide* late Ministry of Steel, Mines & Metals Notification No. C6-2(10)/68, dated the 11th December, 1968. As the extended term has since expired, it has been decided to extend the tenure of the Joint Board for another two years, *i.e.* upto 3-10-1972.

2. There is no change in the existing composition and functions of the Joint Board which are as follows :—

COMPOSITION

Chairman

Secretary, Department of Mines & Metals, Ministry of Petroleum & Chemicals & Mines & Metals.

Members

1. Chief Technical Adviser, Department of Mines & Metals, Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals.
2. A representative of the Ministry of Education and Youth Services.
3. A representative of the Board of Mining Examinations for Coal Mines.
4. A representative of the Board of Mining Examinations for Metalliferrous Mines.
5. Director General of Mines Safety.
6. A representative of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment).
7. Two representatives of the Universities running courses in Mining Education.
8. Two representatives of the Mining Institutions.
9. A representative of the All India Council for Technical Education.
10. A representative of the Directorate General, Employment and Training.
11. A representative of the National Council for Training in Vocational Trades.
12. A representative of the Mine Managers' Association.
13. A representative of the National Association of Colliery Managers.
14. A representative of the Joint Working Committee of the Coal Industry, representing Indian Mining Association, Indian Mining Federation, Madhya Pradesh & Vidarbha Mining Association and Indian Colliery Owners' Association.
15. A representative of the National Coal Development Corporation Ltd.
16. Controller, Indian Bureau of Mines.
17. Joint Secretary (MP), Department of Personnel.
18. A representative of the Department of Atomic Energy.
19. A representative of the University Grants Commission.

Member-Secretary

20. Director, Department of Mines & Metals, Ministry of Petroleum & Chemicals & Mines & Metals.

Functions

1. To review the question of Mining Engineering Education and Training from time to time.
2. To suggest the lines along which further improvements in standards of courses, practical training and teaching facilities should take place.
3. To consider, at the appropriate stage, the question of granting exemption to Mining Graduates from statutory examinations and reduction in the period of practical training in the mines for degree and diploma holders and to make recommendations in this behalf.
4. To suggest ways and means of effecting liaison between the mining industry and the teaching institutions; and
5. Other connected matters which may be referred to it by Government.

The Joint Board will meet as often as is necessary and will keep Government informed of its deliberations. It may constitute small study-groups for dealing with specific problems.

G. RAMASWAMY, Director

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 17th October 1970

No. SSI(A)-17(3)/70.—In the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) Resolution No. SSI(A)-17(3)/70, dated 25-8-1970, under which the Small Scale Industries Board was reconstituted, the following may be included in the list of members of the Board :—

35. Shri Y. P. Mandal, Member, Lok Sabha, 209, North Avenue, New Delhi.
36. Shri S. M. Banerjee, Member, Lok Sabha, 113, North Avenue, New Delhi
37. Shri K. L. N. Prasad, Member, Rajya Sabha, 12, Western Court, New Delhi

O. R. PADMANABHAN, Under Secy.

Commission of Inquiry on Large Industrial Houses

New Delhi, the 14th October 1970

Extension of Time for Furnishing Information

No. 1(6)/CI/LIH/70.—Attention of the public is invited to Notification No. 1(6)/CI/LIH/70, dated the 4th August 1970 issued by the Commission of Inquiry on Large Industrial Houses published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section 1 on 4th August 1970 setting forth fully the terms of reference of the Commission and inviting all persons acquainted with the subject matter of the inquiry to furnish information to the Commission relating to matters covered by its Terms of Reference on or before the 30th September 1970.

The Commission of Inquiry has since decided that information may be furnished in pursuance of the aforesaid Notification till 15th November 1970 in respect of all the items of the Terms of Reference specified therein *excluding* the item relating to the Ruby General Insurance Co. and the New Asiatic Insurance Co. mentioned in paragraph 5 of Schedule 'C' thereof.

By Order

V. NATARAJAN, Secy.
Commission of Inquiry on Large Industrial Houses.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 28th September 1970

No. 22-1/69-CAI(2).—In modification of Ministry of Education and Youth Services Notification No. F.22/10/67-

CAI-2, dated the 12th December, 1968 Smt. Padma Ramchandran, Education Secretary, Government of Kerala, Trivandrum, is appointed as an Ordinary Member of the Indian Historical Records Commission in place of Shri K. C. Sankaran Narayanan.

Her term of appointment for the present be upto 3rd April, 1971.

SARAN SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 23rd October 1970

*No. F.*14-20/70-*U.*1.—In pursuance of the provisions contained in paragraph 6(d) of the second schedule to the Government of India, Ministry of Rehabilitation, Notification No. RHE/11(5)/52, dated the 5th September, 1952, read with the Notification No. RHAE 5(12)/53, dated the 21st May 1955 of the aforesaid Ministry and further amended *vide* notification No. F.18-17/63-U.I, dated the 12th March 1970 of the Ministry of Education and Youth Services the Government of India are pleased to nominate Shri L. R. Sethi, F.8/6, Basant Vihar, Poorvi Marg, New Delhi, to be a member of the Board of Administration of the Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi with immediate effect *vice* the late Shri H. C. Kathpalia, for the residue of his term ending 15-12-1972.

R. S. CHITKARA, Dy. Educational Adviser

(Co-ordination Section)

New Delhi, the 22nd October 1970

In the matter of Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.

No. F. 10-1/70-*CDN.*—Whereas by Office Memorandum No. F.10-1/70-CDN, dated the 18th May, 1970 from the Ministry of Education and Youth Services the Treasurer of Charitable Endowments for India was authorised to re-invest the repayment proceeds of the 4% Bombay Port Trust Debenture Loan 1909-70 of the face value of Rs. 1500/- belonging to the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay in the 5½% Maharashtra State Loan Loan 1981.

And whereas the Charity Commissioner, Maharashtra, Bombay, as agent of the Treasurer of Charitable Endowments for India has reported that the said re-investment has since been completed by subscribing to the said Maharashtra Loan for Rs. 1400/- at a cost of Rs. 1,436.97, thus leaving an uninvested balance of Rs. 63.03 which is too small an amount for investment and has, therefore, to be refunded to the authorities of the Institution.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby directs that the said un-invested balance of Rs. 63.03 (Rupees sixty three and paise three only) be refunded to the authorities of the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.

UMA DATT, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 23rd October 1970

CORRIGENDUM

No. 55-MA(4)/67.—In this Ministry's Resolution No. 55-MA(4)67, dated the 12th February, 1969 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 1st March 1969, the following amendments may be made :—

A. *Deck Passenger Welfare Committee, Bombay* :

4. *For* "Manager Bombay Port Trust, Bombay" *read* "Manager, Bombay Port Trust Docks, Bombay".

10. *For* "M. V. Bhelose" *read* "R. V. Bhelose".

11. *For* "B. R. Munj" *read* "R. B. Munj".

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Ministers Secretariat, the Lok Sabha Secretariat (with 10 copies including 5 copies for Committee Branch), the Cabinet Secretariat, the Planning Commission, all the Ministries of the Government of India, all State Governments, the Chairman, Commissioners for the Port of Calcutta, Calcutta, the Chairman, Bombay Port Trust, Bombay, the Chairman, Madras Port Trust, Madras, the Indian National Steamship Owners' Association, Scindia House, Ballard Estate, Bombay, the Director General of Shipping, 'Jahaz Bhavan', Walchand Hirachand Marg, Bombay-1 (with 100 spare copies) for distribution to the Shipping Companies in India, the Members of National Harbour Board and Members of National Shipping Board), Principal Officers Mercantile Marine Departments, Bombay, Calcutta and Madras, the Chairman and members of the Deck Passenger Welfare Committees at Bombay and Calcutta.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. TIRUMALAI, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 21st October 1970

*No. F.C.*26(2)/70.—In this Ministry's Resolution No. DW.V.516(1)/67, dated the 27th April, 1968, for the existing entry (xii) the following shall be *substituted* :

"(xii) Member (Floods & Soil Conservation), Central Water & Power Commission *Member-Secy.*"

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, all the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretary to the President, Department of Parliamentary Affairs, the Rajya/Lok Sabha Secretariat, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 24th October 1970

No. FC 37(50)/70.—The problem of floods was discussed at the Fifth Conference of State Ministers of Irrigation and Power held at Ootacamund on the 24th & 25th September, 1970. The Conference viewed with great sorrow the loss of human lives in the present monsoon season due to floods and collapse of houses due to heavy rainfall. The Conference recommended that a Committee be set up to go into the various reasons for the occurrence of floods and to draw up suitable proposals for avoidance of such loss of lives in future. The Government of India have in pursuance of this recommendation, decided to set up a Committee accordingly.

The Committee shall consist of :—

Chairman

(i) Union Deputy Minister of Irrigation and Power;

Members

(ii) Minister in charge of Flood Control, Assam;

(iii) Minister in charge of Flood Control, Bihar;

(iv) Minister in charge of Flood Control, Uttar Pradesh;

(v) Minister in charge of Flood Control, Orissa;

(vi) Minister in charge of Flood Control, Madhya Pradesh;

(vii) Minister in charge of Flood Control, Gujarat;

(viii) Minister in charge of Flood Control, Andhra Pradesh;

(ix) Minister in charge of Flood Control, Maharashtra;

(x) Adviser to Governor of West Bengal,

(xi) Director General, India Meteorological Department,

(xii) Member (Floods), Central Water and Power Commission.

Member-Secretary

The terms of reference of the Committee shall be as follows :

(i) To enquire into heavy loss of lives and property from floods and heavy rainfall;

(ii) To examine and draw up suitable proposals for avoidance of such heavy loss of lives etc in future,

(iii) To study the question of co-ordinated action by various agencies in organising flood relief measures

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and that a copy thereof be communicated to all concerned.

ORDERED also that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for general information.

N. C. SAKSENA, Jt. Secy

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

National Awards for Films

New Delhi-1, the 22nd October 1970

No. 7/31/70-*NA(FF)* —It is hereby notified that in pursuance of sub-rule (IV) of Rule 3 and Rule 19 of the Rules for National Awards for Films, published in Ministry of Information & Broadcasting resolution No. 7/1/69-FI(NA) dated the 7th February, 1969 as amended from time to time the Central Government have decided to confer the Dada Saheb Phalke Award on Smt. Devika Rani Roerich for the Year 1969 for outstanding contribution to the cause of Indian cinema. The award carries a cash prize of Rs. 11,000/- (Rupees Eleven thousand only) a plaque and a shawl.

K. K. KHAN, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1970